एम.ए.सी.पी. संख्या ४५७/२०१८,
१. सन्तोष वंशकार उम्र लगभग ५३ साल पुत्र स्व. सुलू
२. श्रीमती संगीता उम्र लगभग ५० साल पत्नी सन्तोष वंशकार
निवासीगण ग्राम मगरपुर थाना सकरार तहसील मऊरानीपुर जिला झाँसी

-----याचिया।

प्रति

१. धर्मेन्द्र तनय सुल्ले निवासी केयर आफ ठाकुरदास मकान नं. ३ भरारी तहसील व जिला झाँसी
.........वाहन स्वामी व चालक आपे नं. यू.पी.९३ बी टी ०४७३
२. दि न्यू इण्डिया इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कार्यलय कचहरी चौराहा, झाँसी जरिए मण्डल प्रबन्धक
..........बीमाकर्ता आपे नं. यू.पी.९३ बी टी ०४७३ (दि.११.०८.२०१८ से १०.०८.२०१९ तक पॉलिसी नं. ४२१५०००३३११८०१००००१६४७)

-----विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री नरेश कुमार गुप्ता
विपक्षी सं.२ के अधिवक्ता- श्री सुनील कुमार शुक्ला

<u>१२.१२.२०२०</u>

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। यह दावा आकाश बरार पुत्र सन्तोष वंशकार की मोटर वाहन दुर्घटना मे हुई मृत्यु पर ₹ ३०,००,००० क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत हुआ है। याचीगण व उनके विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. २ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं। उभय पक्ष की ओर से सुलहनामा २१बी प्रस्तुत किया गया, जो उभय पक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा २१बी पर याचीगण व विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। २१बी सुलहनामा आज उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २१बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा २१बी में दर्शित कुल ₹ ४,८०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. २ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीगण की याचिका सुलहनामा २१बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २१बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. २ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ **४,८०,००० (चार लाख अस्सी हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Punjab National Bank A/c 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov. in पर भेजी जाएगी। याचीगण मृतक के पिता व माँ हैं। अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची स. १ व २ संतोष वंशकार एवं श्रीमती संगीता बराबर-बराबर भाग प्राप्त करेंगे । प्रतिकर की उक्त धनराशि में से प्रत्येक याची अपना २५-२५ प्रतिश्त भाग जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेंगे तथा शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की ३ वर्ष के लिए एन्युटी उनके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक बनाई जायेंगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 16:15:58 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi